न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, पीलीभीत।

दाण्डिक वाद संख्या 402/2024

राज्य बनाम देवी दयाल आदि।।

मु0अ0सं0 094/2002
धारा 457,380,411 भा0दं0सं0।
कोतवाली बीसलपुर,पीलीभीत।

दिनांकः 02.02.2026

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार पर अभियुक्त **बाबू** उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बंधित है। अपराध वर्ष 2002 का है जो अति–प्राचीन वादों की श्रेणी में आता है एवं पत्रावली विगत कई सालों से अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण लम्बित चल रही है तथा पत्रावली पूर्व में वास्ते साक्ष्य 299 नियत की जा चुकी है। अभियोजन साक्षी बतौर सी0डब्लू0–1 कां0 रंजीत कुमार का बयान अभियुक्त की अनुपस्थिति में धारा 299 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित किया जा चुका है। सी0डब्लू0–1 ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त के उपरोक्त पते को तलाशने का काफी प्रयास किया गया किन्तु अभियुक्त उपरोक्त के नाम पते की तस्दीक नही हो सकी है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में अपनी जमानत करायी गयी हैं इसलिए उसके जामिनान को भी नोटिस प्रेषित किये गये परन्तु उनका भी कोई अता–पता नही चल सका। उक्त पत्रावली में अभियुक्त कि विगत लम्बे समय से नाम व पता तसदीक नही हो रहा है। उक्त के संबंध में उपनिरीक्षक अशोक कुमार कोतवाली बीसलपुर, पीलीभत द्वारा लिया गया जिसे मैं सही व सच होना शिनाख्त करता हूॅ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अति–प्राचीन वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाना है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में प्रेषित गैर जमानती अधिपत्र की आदेशिका पर सम्बन्धित थाने से आख्या प्रस्तुत की गयी तथा मौके पर जाकर तामील की गई तो अभियुक्त उपरोक्त की तामील नहीं हो सकी। साक्षी सी0डब्लू0–1 के बयानों के अनुसार *अभियुक्त बाबू पुत्र मोहन निवासी मोहल्ला दुबे, कस्बा व कोतवाली बीसलपुर, पीलीभत 12 वर्ष पूर्व अपनी चल व अचल सम्पत्ति बेचकर कही चला गया है। मेरी जानकारी में जो है वह मैं लिखकर दे रहा हूॅ।* अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना नगण्य पाते हुए मामले में अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए पत्रावली धारा 299 दं0प्र0सं0 की सक्ष्य में नियत की जा चुकी है एवं साक्ष्य भी अंकित किया जा चुका है।

अतः अभियुक्त **बाबू** के विरूद्ध ***स्थायी वारंट*** जारी हो। वारंट की एक प्रति पत्रावली पर रखी जाये। अभियुक्त के गिरफ्तार होने या न्यायालय में उपस्थित होने पर पत्रावली पुनः अभिलेखागार से तलब कर अभियुक्त का विचारण किया जायेगा। पत्रावली में अभियुक्त देवी दयाल हाजिर अदालत है, उसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जावे। पत्रावली वास्ते विरचन आरोप लन्चबाद पेश हो।

दिनांकः 02.02.2026

(दुष्यंत कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर, पीलीभीत।